१,

संख्या-56/2017/789/नौ-5-2017-155बजट/2015

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
खुर्जा जनपद बुलन्दशहर।

लखनऊ दिनांक 02 मार्च, 2017

नगर विकास अनुभाग-5

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत द्वितीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-787/सा0प्र0/2016-17 दिनांक 18.02.2017 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में **'नगरीय सड़क सुधार योजना'** के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-204/2016/1609/नौ-5-2016-155 बजट/2015 दिनांक 13.07.2006 द्वारा नगर पालिका परिषद, खुर्जा जनपद बुलन्दशहर को रू0 50.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए रू0 25.00 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में सडक सुधार हेतु सडकों के निर्माण के लिए अवमुक्त की गयी है। संदर्भित निकाय द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। अतः प्रश्नगत निकाय को उनके अनुरोध के क्रम में वित्तीय वर्ष 2016-17 में चालू कार्यो हेतु द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में कुल **रू. 25.00 लाख (रू. पच्चीस लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि लाख रू. में)

क्र.सं.	जिले का नाम	नगर निकाय का नाम	निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश एवं दिनांक	निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	बुलन्दशहर	नगर पालिका परिषद, खुर्जा	204/2016/1609/नौ-5-2016-155 बजट/2015 दिनांक 13.07.2006	50.00	25.00	25.00
			योग			**25.00**

(रू0 पच्चीस लाख मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

(2) उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को <u>दिनांक 31-03-2017</u> तक संबंधित निकाय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

(5) प्रश्नगत निकायों को शासनादेश दिनांक 13.07.2016 के माध्यम से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है, उक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्ते भी यथावत रहेगीं।

2. स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत **लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-80-सामान्य-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उ.प्र. व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय सड़क सुधार योजना-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान'** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231-2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-56/2017/789(1)/नौ-5-2017-155बजट/2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, मेरठ।
3. जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
4. कोषाधिकारी, बुलन्दशहर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ.प्र. इलाहाबाद।
7. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, खुर्जा जनपद बुलन्दशहर।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय-व्ययक(अनुभाग-1/2)
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-02/03/2017

प्रेषण संख्या:- 56

आवंटन आदेश संख्या:- 001-56-2017-789-9-5-2017-155B-2015

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)

80 - सामान्य

192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय सड़क सुधार योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	बुलन्दशहर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 10200000	2500000 10200000
	योग	वर्तमान प्रगामी	2500000 10200000	2500000 10200000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पच्चीस लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ दो लाख

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी